न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

दायरा दिनांक 28.05.2025

दावा संख्या 27/25

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1–रमेश पुत्र प्यारे आयु 52 वर्ष जाति कुम्हार निवासी ग्राम सिरसोद खुर्द तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

2–कैलाश पुत्र प्यारे आयु 52 वर्ष जाति कुम्हार निवासी ग्राम सिरसोद खुर्द तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान वादीगण

बनाम

केशव पुत्र मोतीलाल आयु 36 वर्ष जाति गुसाईं निवासी ग्राम सिरसोद खुर्द तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा

<u>निर्णय दिनांक– 23.06.2025</u>

उपस्थित

वादीगण की ओर से – श्री प्रकाशचन्द्र नामदेव एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से – एकपक्षीय दिनांक 23.06.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त में सेटलमेंट की ग्राम सिरसोद खुर्द तहसील शाहाबाद की आराजी खाता संख्या 293 की ख0नं0 124 की 2.08 बीघा बारानी तृतीय, ख0नं0 195 की 1.11 बीघा बारानी तृतीय, ख0नं0 197 की 20.06 बीघा बारानी तृतीय, ख0नं0 304 की 0.15 बीघा बारानी द्वितिय, ख0नं0 408 की 18.19 बीघा बारानी तृतीय, ख0नं0 409/931 की 3.18 बीघा बारानी चाहरूम, ख0नं0 693 की 0.07 बीघा खेडा 2, ख0नं0 746 की 0.15 बीघा बारानी द्वितीय, ख0नं0 748 की 0.06 बीघा बारानी द्वितीय, ख0नं0 749 की 0.08 बीघा बारानी द्वितीय, ख0नं0 780 की 0. 10 बीघा बारानी द्वितीय, ख0नं0 787 की 1.01 बीघा बारानी द्वितीय कुल खसरा 12 कुल क्षेत्रफल 51.04 बीघा आराजी स्थित है। उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा है तथा निरंतर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी में से ख0नं0 304 की 15 विस्वा वादीगण का कब्जा है तथा कोट रखा हुआ है, जिसे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त आराजी वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की है, जिस पर जन्म से ही वादीगण बहैसियत मालिक व स्वामी होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, जिसमें दखलन्दाजी अथवा हस्तक्षेप करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। विवादित आराजी में कोई रास्ता नहीं है फिर भी प्रतिवादी विवादित आराजी में से ताकत के बल पर अवैधानिक कब्जा कर मेटेरियल डालकर दक्षिणी साइड से पूर्व से पश्चिम बनवारी के खेत की तरफ रास्ता निकालने को आमादा हैं, जिसका प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 16 व 17 मई 2025 को प्रतिवादीगण को मेटेरियल डालने से रोका तो प्रतिवादी ने वादीगण [illegible] तथा जान से मारने को आमादा हुआ और धमकी दी कि रास्ता बनाकर कब्जा [illegible]। दिनांक 24.05.25 को भी प्रतिवादी ने धमकी दी कि वह सर[illegible] उसका कुछ नहीं बिगाड सकते। वादीगण थाने पर भी [illegible] नहीं हुई। प्रतिवादी के उक्त कृत्य से वादीगण के हकूक मालिकाना [illegible] उत्पन्न हो गया है, [illegible] कारण वादीगण खिलाफ प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर[illegible] के अधिकारी हैं, इस[illegible] नालिश पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.07.18 18:11:34 IST
Reason: SelfAttested

23.06.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी के विरूद्व बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय सुनवाई की गई। वादीगण को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत है। वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अन्तर्गत नकल जमाबंदी ग्राम सिरसोद खुर्द सम्वत 2073–76 खाता संख्या 293 पेश की गई है, जिसके अनुसार वादीगण विवादित भूमि ख0नं0 304 रकबा 0.15 बीघा के रिकार्डेड खातेदार हैं, विवादित आराजी नक्शे में तरमीम है, जिस पर दखलन्दाजी अथवा हस्तक्षेप करने का प्रतिवादी को कोई वैधनिक हक अथवा अधिकार नहीं है। प्रतिवादी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है और वाद का कोई खण्डन नहीं किया है। इस आधार पर वादीगण खिलाफ प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के वैध हकदार पाये जाते हैं।

अतः वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 188 आर.टी.ए. वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी वादी के खाते की विवादित आराजी ख0नं0 304 रकबा 0.15 बीघा ग्राम सिरसोद खुर्द तहसील शाहाबाद में वादीगण के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी तथा हस्तक्षेप नहीं करे, ना ही कोई रास्ता निर्माण करे। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

23.06.2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.07.18 18:11:34 IST
Reason: SelfAttested